

## Rapid Fire करंट अफेयर्स (02 जुलाई)

- केंद्र सरकार ने जल संकट से निपटने और देश में पानी की कमी से जूझ रहे 255 ज़िलों में 1 जुलाई से **जल शक्ति अभियान** की शुरुआत की है। इसमें वर्षा के पानी के संचय और संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान में 800 IAS अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी, जिनमें संयुक्त सचिव से लेकर अतिरिक्त सचिव रैंक तक के अधिकारी शामिल होंगे। इस अभियान में अंतरिक्ष, पेट्रोलियम और रक्षा क्षेत्र से भी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के 550 उपसचिव भी अपने-अपने हिससे में आए ज़िले व ब्लॉक का दौरा करेंगे। यह अभियान **जुलाई से 30 सितंबर** तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस जाने तक विभिन्न राज्यों में चलेगा। इसमें वर्षा के जल संचयन पर फोकस किया जाएगा। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उत्तर-पूर्व मानसून वाले राज्य इसमें शामिल होंगे। जल शक्ति और ग्रामीण विकास मंत्रालय मलिकर यह अभियान संचालित कर रहे हैं, जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये **रयिल टाइम मॉनिटरिंग** की जाएगी।
- पहली **स्टेम सेल रजिस्ट्री** खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इस रजिस्ट्री के बन जाने से मरीज़ और डोनर के स्टेम सेल की मैचिंग में लगने वाले समय और इलाज की कुल लागत में कमी आने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और कुछ कैंसर के मामलों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक कारगर इलाज है, जबकि मरीज़ से मिलते-जुलते स्टेम सेल की खोज में समय लग जाता है। इस रजिस्ट्री के बन जाने के बाद मरीज़ की जॉच के कुछ ही मिनटों में डोनर लाया जा सकेगा। इससे डोनर को खोजने में लगने वाले समय में कमी आएगी और डोनर को कोई भुगतान भी नहीं करना होगा। एक अनुमान के अनुसार, देश में सालाना लगभग दो हज़ार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही होते हैं, जबकि ज़रूरत 80 हज़ार से एक लाख स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की है। **स्टेम सेल** या **मूल कोशिका** ऐसी कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कष्टग्रस्त कोशिका को ठीक करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- **उत्तर प्रदेश** सरकार ने **17 पछिड़ी जातियों** को **अनुसूचित जाति** की सूची में शामिल कर लिया है। इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, नषिद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बनिद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका पर दिये गए आदेश के बाद लिया है। यह प्रकरियाँ हाईकोर्ट के आदेश के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। प्रदेश की ये 17 पछिड़ी जातियाँ लंबे समय से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में लाने की मांग कर रही थीं। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पछिड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम की अनुसूची-1 में ज़रूरी **संशोधन** कर दिया है। इस संशोधन के जरिये अन्य पछिड़ा वर्ग की सूची में से उपरोक्त 17 जातियों को निकाल दिया गया है। अब ये 17 पछिड़ी जातियाँ अनुसूचित जाति में गिनी जाएंगी।
- 1 जुलाई को देशभर में **चारटर्ड अकाउंटेंट दविस** यानी **CA डे** का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1949 में आज के दिने **हीइंस्टीट्यूट ऑफ चारटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)** की स्थापना की गई थी। ICAI को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ICAI देश की राष्ट्रीय प्रोफेशनल अकाउंटिंग संस्था है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग संस्था है। ICAI का आधिकारिक प्रतीक चिह्न **गरुड** है तथा देश में **CA का कोर्स** कराने की ज़िम्मेदारी इसी के पास है। ICAI चारटर्ड एकाउंटेंट बनने की योग्यता को निर्धारित करता है, परीक्षा लेता है तथा लेखांकन की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है। इसके अलावा यह RBI, SEBI, MCA, CAG, IRDA आदि जैसी सरकारी संस्थाओं को नीति निर्माण में सहयोग करता है।
- अब खुदरा दुकानदार या ई-कॉमर्स कंपनियाँ **भौगोलिक संकेतक (GI)** वाले विशेष उत्पादों को बाज़ार में रखने और बेचने के लिये उनके प्रतीक चिह्न (Logo) और Tagline के इस्तेमाल के लिये **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)** से मंजूरी ले सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से वशिष्ट प्रकार के कृषि, प्राकृतिक या वनिरिमित उत्पादों (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं) को प्रदान किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति किसी सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के इरादे से DPIIT ने साझा GI प्रतीक चिह्न और टैगलाइन अगस्त 2018 में जारी किया था। इससे GI उत्पादकों के साथ ही उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ेगी और उन उत्पादों का विपणन और बिक्री बढ़ेगी। भारत में GI प्रतीक चिह्न और टैगलाइन का स्वामित्व DPIIT के पास है। विदेशी GI उत्पादों को प्रतीक चिह्न और टैगलाइन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, भले ही वे भारत में पंजीकृत हों।